

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक/रा०,

सेवा में,

महशलेखाकार, झारखण्ड,
पोस्ट-हिनु, राँची।

बोकारो, दिनांक/19

विषय:- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 04.10.2016 के मद संख्या 02 में लिये गये निर्णय के आलोक में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण हेतु बोकारो जिला के अंचल चन्दनकियारी, ग्राम-बिख्राम, थाना नं०-264, खाता नं०-23, प्लॉट नं०-14, रकबा-5.00 एकड़ नैश्मजरूआ खस, किस्म पुरातन पतित को उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।

आदेश:-सं शीकृति।

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रायोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रायोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रायोजन हेतु उसका उपयोग छः माह के अन्दर नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
2. अन्य सभी शर्त " इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक/रा०, दिनांक/20
प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, ~~बोकारो~~ (हिनु) को उनके कार्यालय पत्रांक-493/रा०, दिनांक 31.08.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अभिलेख सं०-01/19-20 मूल रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, चास को सीधे वापस किया जा रहा है। अनुलग्नक:-मूल अभिलेख।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक/रा०, दिनांक/2019
प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक/रा०, दिनांक/2019
प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक 2563 /रा०, दिनांक 03/09/2019